1

9/12/04

सेवा में

राज्य सभा

भारतीय संसद, नई दिल्ली

भास्कर, 26/11/04 में आपकी विज्ञप्ति - अनुसार

याचिका प्रस्तुतकर्ता : डॉ सुरेन्द्र कटारिया,

एसोसिएट प्रोफेसर, 73/54ए, मानसरोवर, जयपुर-20

नगर निगम, जयपुर क्षेत्र निवासी की याचिका में

प्रार्थना है कि सभी नागरिकों हेतु "विशेष पहचान पत्र विधेयक" पर लोक हित में विशेष उपबंध किया जाय।

1. भारत में बढ़ती आतंकी घटनाओं, बाहरी घुसपैठ एवं राज्यों के बीच श्रमिक देशान्तरगमन और अन्य अन्य प्रयोजनों हेतु सभी नागरिकों हेतु एक विशिष्ट प्रकृति का सामान्य पहचान पत्र होना चाहिए जो समस्त सरकारी प्रयोजनों में नागरिक की सम्पूर्ण पहचान एवं निवास स्पष्ट करता हो।

माननीय राज्य सभा में याचिका प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि इस हेतु राष्ट्रीय कानून बनाने का प्रयास किया जाए-

---

| याचिकाकर्ता का नाम | पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| डॉ. सुरेन्द्र कटारिया | 73/54ए, मानसरोवर<br>जयपुर - 302020 राज. | |

संलग्न : याचिका-2 भारत राष्ट्र निर्माण तथा नागरिक कर्तव्य विधेयक

Scanned with OKEN Scanner

दि. 9/12/04

सेवा में,

राज्य सभा
भारतीय संसद, नई दिल्ली ।

याचिका प्रस्तुतकर्ता : डॉ. सुरेन्द्र कटारिया, एसोसिएट प्रोफेसर
73/54 ए, मानसरोवर, जयपुर- 302020

नगर निगम, जयपुर क्षेत्र के निवासी की याचिका दर्शाती है और तद्नुसार आपका याचिका देने वाला प्रार्थना करता है कि "भारत राष्ट्र निर्माण तथा नागरिक कर्तव्य विधेयक" का सामान्य लोक हित में विशेष उपबन्ध किया जाए ।

प्रार्थना है कि इस विधेयक में यह प्रावधान हों कि —

1. देश के प्रत्येक शहर, गाँव, सड़क या गली में कचरे तथा गन्दगी का ढ़ेर लगा है । इससे मुक्ति पाने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र की नगरपालिका, पंचायत तथा आस-पास के निवासियों को पाबन्द किया जाए । चलती ट्रेन या बस से कचरा फेंकना निषेध किया जाए ।
2. विदेशी नागरिकों के साथ लूटपाट, धोखाधड़ी तथा छेड़छाड़ को गंभीरता से लिया जाए। ऐसे अपराध गैर जमानती होने चाहिए । पर्यटकों से देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा मिलती है तथा राष्ट्र की छवि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचती है ।
3. पर्यटन स्थलों पर नाम लिखना, गन्दगी फैलाना, उन्हें विकृत करना, चोरी करना तथा अन्य अपमानजनक कृत्य भी गैर जमानती अपराध घोषित किए जाए ।
4. विभिन्न प्रकार के पोस्टर रास्तों के नाम पट्ट, संकेत चिन्हों, साइन बोर्डों, दीवारों तथा सूचना पट्टों पर चिपका दिए जाते हैं । इससे अनजान व्यक्तियों को वांछित सूचना नहीं मिल पाती है । पोस्टर पर वर्णित संस्था या कम्पनी को इस प्रकार के कृत्य के लिए दण्डित किया जाना चाहिए ।
5. बड़े विवाह समारोहों, रैलियों, धरनों प्रदर्शनों तथा अन्य सामूहिक भीड़ के कार्यक्रमों के समय पुलिस को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है तथा इससे पुलिस का वास्तविक कार्य बाधित होता है । कृपया आयोजक संस्था से इस हेतु भारी शुल्क लेकर पुलिस उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।
6. समारोह, रैली तथा प्रदर्शन के पश्चात भीड़ छंटते ही सड़कों या पार्कों में पत्ता, दोने, प्लास्टिक, फूलमालाएँ, पम्पलेट, सड़क पर गड्ढे या पत्थर पड़े नजर आते हैं। इनको सफाई का दायित्व आयोजक संस्था को दिया जाए ।

Scanned with OKEN Scanner

7. देश भर में रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, बाजारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं हेतु शौचालय (पेशाबघर) का नितांत अभाव पाया जाता है । पुरुषों हेतु प्रायः सुविधा मिल जाती है । प्रत्येक बाजार एवं सार्वजनिक स्थान पर महिला शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ।

8. देश भर में पानी की भारी किल्लत है । उसके उपरांत भी शहरी लोग पाईप लेकर सड़क पर सुबह-शाम छिड़काव करते हैं । इसे दण्डनीय अपराध बनाया जाए । अच्छा हो कि परिवार के आकार के अनुसार एक निश्चित मात्रा में ही पानी मीटर से घर के अन्दर जाए । निश्चित मात्रा से अधिक पानी पर भारी शुल्क लिया जाए ।

9. घरों के आगे सड़क या गली में लम्बे रैम्प या बागवानी के नाम पर होने वाले अतिक्रमण को दण्डनीय अपराध की श्रेणी में लाया जाए । ऐसे घरों के नल, बिजली कनेक्शन काट दिए जाएँ ।

10. बिना बात यहाँ-वहाँ सड़क या भवनों में थूकने वालों को दण्डित किया जाए । भारत की लगभग 15 प्रतिशत जनसंख्या के स्वभाव में बिना बात थूकना सम्मिलित हो गया है । इसे कानून ही नियंत्रित कर सकता है ।

11. भीख माँगने की समस्या से मुक्ति पाने का संभवत एकमात्र प्रभावी उपाय यह है कि "भीख देने वालों को दण्डित" किया जाए । यदि लोग भीख नहीं देंगे तो माँगने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाएगी । दान तथा सहायता सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को दी जाए जो सम्बन्धित गरीबों तक पहुँचे ।

12. सेना में हुई शहादत को मान, सम्मान तथा धन से नवाजा जाता है जबकि पुलिसकर्मी की शहादत को कम सम्मान दिया जाता है यह भेदभाव समाप्त होना चाहिए । वास्तविकता यह है कि गुण्डों एवं अपराधियों की धमकियों का पुलिसकर्मी एवं उसका परिवार नित्य सामना करता है ।

13. न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दर सरकारी कार्मिकों की चतुर्थ श्रेणी लोक सेवक के दैनिक वेतन के बराबर होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय कानून होना चाहिए ।

14. लोक सेवकों में राष्ट्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए सरकारी नियमों में तार्किकता लाई जाए । उदाहरण के लिए सरकारी दौरे पर दैनिक भत्ते के रूप में अफसर को 150 रुपए, लिपिक को 40 रुपए तथा सहायक कर्मचारी को 15 रु. प्रतिदिन मिलते हैं (राजस्थान की स्थिति) । प्रश्न यह उठता है कि क्या अधीनस्थ कार्मिक का पेट छोटा होता है या उसे कम पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए ? इस प्रकार के अव्यावहारिक नियम सुधारे जाएँ ।

Scanned with OKEN Scanner

15. विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों, अंकतालिकाओं, प्रमाणपत्रों तथा चरित्र प्रमाण पत्र प्रमाणन इत्यादि हेतु राजपत्रित अधिकारियों के समक्ष आम व्यक्ति को गिड़गिड़ाना पड़ता है । ब्रिटिश काल से चली आ रही यह परम्परा समाप्त होनी चाहिए । आवेदक से ही उसके कागजातों को प्रमाणित करवाया जाना चाहिए । इससे व्यक्ति में सम्मान पैदा होगा तथा जाली कार्यों पर भी स्वतः ही रोक लगेगी ।

16. सामान्यतः सरकारी भवनों एवं कार्यालयों के गेट पर खड़े दरबान एवं सुरक्षाकर्मी अफसर की गाड़ी देखते ही सैल्यूट करते हैं किन्तु तीन चौथाई अफसर पलट कर अभिवादन करना तो दूर सैल्यूटकर्ता की ओर देखते भी नहीं हैं । ऐसी स्थिति में सैल्यूटकर्ता की मानवीय गरिमा एवं भावना को ठेस लगती है । ऐसे प्रकरण मानवाधिकारों के हनन की श्रेणी में लाए जाएँ ।

17. बहुद्देशीय नदी-घाटी-बाँध परियोजनाओं की स्वयं सेवी संस्थाएं आलोचना करके चर्चा में आना चाहती हैं । इससे विकास परियोजना प्रभावित होती है । राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर (जैसे नदियों को जोड़ना) गैर सरकारी संगठन अड़ंगा न लगा सकें इस हेतु कानून बनाया जाना चाहिए । विरोध करने वालों को मई-जून के माह में बीकानेर-जैसलमेर के मरुस्थल के गाँवों के दर्शन कराए जाने चाहिए । उन्हें पानी का महत्व समझ में आएगा ।

18. देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या तथा सीमित होते संसाधनों को देखते हुए सीमित परिवार का राष्ट्रीय कानून बनाया जाए ।

19. राष्ट्रीय महत्व के उक्त कानूनों का पालन न करने वालों की शिकायतकर्ताओं को पुरस्कृत किया जाए ।

माननीय राज्यसभा में याचिका प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि उक्त बिन्दुओं पर राष्ट्रीय कानून बनाने की दिशा में प्रयास किया जाए ।

---

| याचिका देने वाले का नाम | पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| डॉ. सुरेन्द्र कटारिया | 73/54 ए, मानसरोवर<br>जयपुर -302020<br>राज. | |